

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

RS 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान



सत्य-प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

" विक्रय पत्र मालियत रुपये 5,00,000/= मुद्राक रुपये 20,000/=रुपये"

कागजात -4 दिनांक 23/03/2005

मैं पदम चन्द जैन उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जैन जाति महाजन
निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान
का रहने वाला हूँ ।

पदम चन्द

सचिव
बाबा नारायणदास महाविद्यालय
विराटनगर (जयपुर) राज.

लगातार-

निदेशक रक्षुर्वी लिह-सोदारी कुग प्र उकाथ चाराभन गल डि० शाहयु०।

$$\frac{5000}{4} = 20,000$$



उपस्थित अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

यह दस्तावेज आज दिनांक 23/3/25 को दिन 23/3/25 तमय 23/3/25 बजे श्री पद्म पुरुष मंदिर निवासी श्री विनायक के तहसील विनायक के द्वारा जेपजीनक विराटनगर के प्रवृत्त किया गया है।

उप पंजीयक
बहुतेल विराटनगर (बझपुर)

राजीव जी का रु. 5000
 मिला न की रु. 100
 मिला न की रु. 20000
 मुद्रा की रु. 100
 कुल राशि रु. 25200 का
 नोट रु. 25200 डी.डी. नं.
 जारी की गई। दिनांक 23/3/05
 राजीव जी का रु. 61 मिला न
 प्राप्त हुआ है।

१७/१६
पत्र संनिम्न विद्यालय (जयपुर)





राजस्थान

जो कि ग्राम पापडी पटवार हल्का सोठाना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के आराजी खसरा नम्बर 935 रकबा 0.25 है0, आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.24 है0, आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.14 है0 किता 3 कुल रकबा 0.63 है0 किस्म बाराणी सुदीप सम्पूर्ण का मै स्वय खातेदार मालिक व कब्जे कास्त हूँ । उक्त भूमि सिंचित है सड़क से लगती हुई तथा आबादी से करीब 2 किलोमीटर से अधिक दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है। उक्त भूमि किसी के रहन नहीं है। सभी प्रकार के आड भार व प्रतिबन्धों से पूर्णतया मुक्त व पश्चिन्न है। वक्त जरूरत जिसको हर तरह से अन्तरित व बेचान करने का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

सत्य-प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (जयपुर)

चूंकि मुझे अपने निजी कार्य के लिए रुपये की आवश्यकता है इसलिए मैंने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि वाकै ग्राम पापडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के आराजी खसरा नम्बर 935 रकबा 0.25 है0, आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.24 है0, आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.14 है0 किता 3 कुल रकबा 0.63 है0 सम्पूर्ण को नीव सीव इसमें खड़े वृक्ष पूला पानी हक हकूक तमाम बाहरी भीतरी व सम्बन्धित हक मालिकाना सहित मुबलिक रुपये 5,00,000/- अकेही पांच लाख रुपये जीरये चैक के प्राप्त कर सम्बन्धित ग्राम्य विकास आदेशी संस्थान, जयपुरा जिला जयपुर को जरिये निवेदन श्री रघुवीरसिंह

सचिव
ग्राम्य विकास महाविद्यालय
जयपुर (जयपुर) राज.

संख्या २१-३-२००५ दिनांक ००००००

चौक का नम्बर २१०/०००१/- बास्ते विहडन पत्र

समर्पित आम्प पत्रिका शिक्षा संस्थान शाहपुरा जिला - जयपुर

निदेशक रघुवीर सिंह - जेपरी उग्र पी उदायन सामग्री निदेशक - शाहपुरा

हस्ताक्षर

दि. ३१-३-२००५

जयपुर



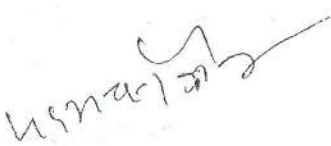
श्री ...पदम... पुत्र ... (पदम) ...
जाति ... निवासी ...
तहसील ... जिला ...
ने निम्नानुसार स्वीकार किया और खरीददार
मे पहले श्री ... के ...
अक्षरे ...
की प्रतीति को खरीद लिया। निष्पादक व साक्षी
के हस्ताक्षर व अंगुठे विधिवत लिये गये हैं
प्रकरण सम्मानीय है।


उप निदेशक

तहसील विराटनगर (जयपुर)

उप निदेशक अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)









राजस्थान

चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण चौधरी निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान को कर्तई विक्रय कर दी है। कीमत 680743 पंजाब नेशनल बैंक भूमि की तमाम राशि मैंने क्रेता से जरिये बैंक नो से प्राप्त कर ली है। अब कोई राशि लेना शोष नहीं रहा है। उक्त भूमि से मैंने अपना कब्जा हटाकर आज ही अपने समान कब्जा क्रेता का करवा दिया है।

उक्त भूमि का मौके पर कब्जा हटा कर कब्जा सम्भला दिया है। उक्त भूमि से सम्बन्धित आज से पूर्व का किसी किस्म का अदालती व गैर अदालती वाद विवाद होगा तो उसको मैं अपने स्वयं के खर्चे से निपटाऊंगा।

अब उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि अपनी खरीद शुद्धा भूमि का तथा इसमें स्थित पेड पौधों का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार करे या इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करे या इसकी खातेदारी को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

विक्रय की गई भूमि यदि क्रेता के कब्जे से निकल जाती है तो इसकी सम्पूर्ण राशि वापस करने की जिम्मेदारी मेरी होगी अब क्रेता को पूर्ण हक व अधिकार होगा कि अपनी खरीद की गई भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इसमें मुझे व मेरे किसी भी वारिसान या उत्तराधिकारी को कोई एतराज नहीं होगा। इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अपठनीय हो जाने पर जिम्मेदारी उभय पक्ष की होगी इसमें पंजीयन एवं मुद्राक विभाग की जिम्मेदार नहीं होगी।

सत्य-प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
5/8/17
बिराटनगर (जयपुर)

साक्षि न्यायपालक
बाबा नारायण नारायण राज.

दिनांक 20/07/2020 वास्तविक दिनांक

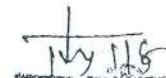
समन्वित गांव विकास समिति सरधान आहारा जिला जमशेदपुर

निदेशक रजिस्ट्रार जिल्हा पोलीस ठाणे श्री प्रकाश नारायण भाट्टी आहारा


दिनांक 20-07-2020
पृष्ठ संख्या

निष्पादन करी को श्री हनुमान लाल
पुत्र महादेव आव पट्टा
व्यवसाय कृषि निवासी सहस्र आहारा
जिला जमशेदपुर एवं श्री पुष्प
पुत्र श्री महादेव आव पट्टा
व्यवसाय कृषि निवासी सहस्र आहारा
जिला जमशेदपुर ने पहचान कर घनाखतगी मंदा की।

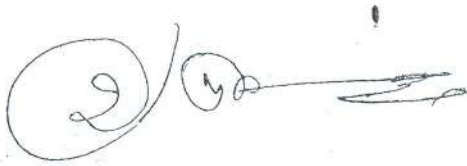



उप निदेशक
सहस्र ल विराटनगर (जमशेदपुर)

हस्ताक्षर






उप निदेशक
विशालनगर (जयपुर)
5/8/2



// 4 //

अतएव यह विक्रय पत्र मालियत रुपये 5,00,000/= मुद्राक

रुपये 20,000/= 5000x4 किता 4 पर मैने अपनी राजी खुी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशे पते के सोच समझ कर स्वयं सचित व स्थिर बुद्धि की अक्स्था में लिख दिया हैं कि सनद रहे व क्त जैरुरत काम आचें ।



साक्षी 1
 ६३५/१११८१० फुला का मंडा
 १०८१३५८८६०२१६५८१

हस्ताक्षर के विक्रेता
 पदमचल



सत्य-प्रतिलिपि
 साक्षी 2
 उप मुख अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

७२
 ५२३५०८१० ल१६२१५८१८
 १३००१६१० १७००५००
 २१६५८

हस्ताक्षर केता
 सचिव

सचिव
 राजस्थान न्यायपालिका महाविद्यालय
 विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

२३/५/०५
 ५५

विद्युत
सिमाग्वित गांव विकास शिक्षा संस्थान शाहपुरा जिला - जयपुर
निदेशक राष्ट्रीय सिद्ध-योग्यता पुग श्री प्रकाश नातपुत्र गांव सि शाहपुरा

1945 1946 1947

五、關於「三民主義」



उप-प्रतिलिपि
उप-प्रमाण अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



बीज दिनांक २४ ३ ००
 पुस्तक सं. १ में पत्र सं. १६२
 छ. सं. १०० पर परिचय किया गया।
 तथा आत. पुस्तक संख्या ८५ पृ. ६४६
 सं. ६९३ तक किया गया।

उप पंजीयक
बहुसाल बिराटनगर (जबपुर)